मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी-6/नियमन/उपविधि संशोधन/214/1347 भोपाल, दिनांक 28/05/2022

प्रति

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
.....(समस्त)

विषय-अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की व्यक्तिगत प्रतिभूति/सामूहिक प्रतिभूति निर्धारण के संबंध में संशोधन पर सुझाव उपलब्ध कराने बाबत।

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा दी जाने वाले व्यक्तिगत प्रतिभूति और व्यापारी संघ की सामूहिक प्रतिभूति की व्यवस्था को अधिक कारगर बनाने हेतु उपविधि के तत्संबंधी प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किये जाने के साथ ई-अनुज्ञा पोर्टल पर भी तदानुसार व्यवस्था करना विचाराधीन है। इस संबंध में प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित संशोधन का अध्ययन कर अपने सुझाव तथा सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के संज्ञान में लाकर उनके सुझाव आंचलिक कार्यलय के माध्यम से दिनॉक 15 जून 2022 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बी-6/नियमन/उपविधि संशोधन/214/1348 भोपाल, दिनांक 28/05/2022

प्रतिलिपि

संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ..... (समस्त) द्वारा प्रस्तावित उपविधि संशोधन पर अधीनस्थ मंडियों और अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से प्राप्त सुझावों को संकलित कर अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित मुख्यालय को दिनॉक 20 जून 2022 तक उपलब्ध करावें।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की व्यक्तिगत प्रतिभूति/सामूहिक प्रतिभूति निर्धारण के संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था।

म. प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 17 में मंडी समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य निर्धारित है तथा धारा 17 की उपधारा 2 के खंड (11) में प्रावधानित है कि -

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये यथोचित उपाय करेगी कि व्यापारी अपनी समर्थ से परे, कृषि उपज का क्रय न करे तथा उपज का व्ययन करने में विक्रेताओं को होने वाली जोखिम न रहे; और

(ख) क्रेताओं की हेसियत के अनुसार नगद या बैंक गारंटी के रूप में आवश्यक प्रतिभूति अभिप्राप्त करने के पश्चात ही अनुज्ञप्तियां मंजूर करेगी।

मंडी अधिनियम की प्रश्नाधीन धारा के अनुक्रम में मंडियों में लागू उपविधि सन 2000 की कंडिका 18(3) में व्यक्तिगत प्रतिभूति तथा कंडिका 18 (4) में सामूहिक प्रतिभूति देने की व्यवस्था निर्धारित है।

वर्तमान में कृषि उपज का व्यवसाय करने वाले व्यापारी को अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ प्रारूप छः में एक दिन की अधिकतम खरीदी क्षमता के प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर प्रतिभूति देने का नियम है, परन्तु यह देखने मे आया है कि अधिकांश व्यापारियों द्वारा सीजन में अपनी एक दिन की घोषित क्रय क्षमता से बहुत अधिक मूल्य की कृषि उपज की खरीदी की जाती है। ऐसी स्थिति में व्यापारी के डिफाल्टर होने पर विक्रेताओं के विक्रय मूल्य का भुगतान उसकी प्रतिभूति से नही हो पाता है।

यह भी देखा गया है कि अधिकांशतः व्यापारी संघों द्वारा अपने सदस्यों के लिये जो सामूहिक प्रतिभूति दी जाती है उसमें संबंधित व्यापारी की अनुज्ञप्ति के एक दिन की खरीदी की घोषित क्रय क्षमता की सीमा तक का ही जोखिम कवर किया जाता है। इसलिये किसी व्यापारी के डिफाल्टर होने पर विक्रेताओं को देय सम्पूर्ण राशि की वसूली सामूहिक प्रतिभूति से नही हो पाती है।

उपरोक्त विषय में मंडी बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों की दिनांक 24.05.2022 को हुई बैठक में चर्चा उपरांत विक्रेताओं के विक्रय मूल्य के जोखिम को सीमित करने के लिये निम्नानुसार व्यक्तिगत प्रतिभूति/सामूहिक प्रतिभूति का निर्धारिण करने की अनुशंसा की गई-

1) <u>व्यक्तिगत प्रतिभूति-</u> ई-अनुज्ञा पोर्टल से वर्ष 2021-22 में संबंधित व्यापारी द्वारा एक दिन में कृषि उपज की अधिकतम खरीदी के मूल्य के आधार पर पुनः निर्धारित की जाये।

A. प्रत्येक व्यापारी द्वारा मंडी में जमा की गई व्यक्तिगत प्रतिभूति अथवा सामूहिक प्रतिभूति (जैसी स्थिति हो) पोर्टल पर प्रदर्शित हो।

B. व्यापारियों द्वारा विभिन्न सीजन में खरीदी की मात्रा/मूल्य परिवर्तित होता रहता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक तिमाही (अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च) में ई-अनुज्ञा पोर्टल में दर्ज एक दिन की अधिकतम खरीदी मूल्य के अनुसार व्यापारी को अंतर की प्रतिभूति, संबंधित तिमाही के प्रथम माह की 15 तारिख तक, जमा कराई जाये।

C. ई-अनुज्ञा पोर्टल में व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है कि व्यापारी की प्रतिभूति की राशि से अधिक मूल्य की खरीदी दर्ज नही हो सके। इसी प्रकार प्रतिभूति की राशि से अधिक कीमत की कृषि उपज के निकासी हेतु अनुज्ञा पत्र भी जारी नही हो सकेगे। जब तक कि संबंधित व्यापारी द्वारा अतंर की राशि की प्रतिभूति जमा नही करा दी जाती है। इसका मंडी सचिव द्वारा सत्यापन करने पर ही उक्त दोनो प्रकार के संव्यवहार दर्ज होने की ऑटोमेटिक व्यवस्था पोर्टल पर करना प्रस्तावित है।

D. ई-अनुज्ञा पोर्टल पर यह व्यवस्था भी की जाये जिससे पूर्व तिमाही की अधिकतम एक दिवस की खरीदी के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रतिभूति की सीमा को क्म्प्यूटर द्वारा आगामी तिमाही की खरीदी के आधार पर स्वमेव कम नही कर सके। यदि व्यापारी किसी तिमाही मे उसकी अधिकतम खरीदी के आधार पर निर्धारित प्रतिभूति की सीमा से आगामी अवधि मे कम मूल्य की कृषि उपज की खरीदी करने हेतु प्रतिभूति को कम कराना चाहता है तो उसे मंडी समिति में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित सचिव के लॉगिन से ही प्रतिभूति की सीमा पुर्ननिर्धारित की जा सकेगी, परन्तु व्यापारी द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत घोषित एक दिवस की क्रय सीमा से प्रतिभूति कम नही की जा सकेगी।

2) <u>सामूहिक प्रतिभूति-</u>

A. प्रारंभ में व्यापारी संघ द्वारा जिन सदस्यों के लिये सामूहिक प्रतिभूति दी गई है उन सभी सदस्यों की एक दिन की घोषित क्रय क्षमता की राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा, जो कि आगामी तिमाही में सभी सदस्यों के एक दिन की अधिकतम खरीदी की राशि के आधार पर पुर्ननिर्धारित की जायेगी।

B. व्यापारी संघ की सामूहिक प्रतिभूति में नये सदस्यों/अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के शामिल होने पर प्रतिभूति की सीमा उपरोक्तानुसार पुर्ननिर्धारित हो जायेगी।

C. व्यापारी संघ द्वारा सामूहिक प्रतिभूति से अपने सदस्य/व्यापारी के डिफाल्टर होने पर सम्पूर्ण देय विक्रय मूल्य और मंडी को शोध्य अन्य सभी व्यतीक्रम राशि की वसूली हेतु सहमति देना अनिवार्य होगा।

-----ooooo-----